09

संख्या– 858 /XV-1/11/1(10)/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 24 अगस्त, 2011

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्रविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सैक्टर योजनाओं में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1538/नि–5/एक–19/आ.–व्य./2011–12 दिनांक 4 अगस्त, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में पशुपालन विभाग में गठित बोर्डों यथा पशु कल्याण एवं गौ सेवा और उत्तराखण्ड भेड़ एव ऊन विकास बोर्ड हेतु क्रमशः ₹ 10.86 लाख तथा ₹ 4.27 लाख कुल **₹ 15.13 लाख (₹ पन्द्रह लाख तेरह हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

लेखा शीर्षक	मद का नाम	आवंटित धनराशि	लेखा शीर्षक	मद का नाम	आवंटित धनराशि
(1) 2403. पशुपालन–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–पशु कल्याण एवं गौ सेवा (राज्य सैक्टर)	04–यात्रा व्यय	57	(2) 2403. पशुपालन–00–104–भेड़ एवं ऊन विकास 03–उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड (रा०सै०)	04–यात्रा व्यय	37
	07–मानदेय	282		06–अन्य भत्ते	22
	08–कार्यालय व्यय	75		07–मानदेय	112
	09–विद्युत देयक	05		08–कार्यालय व्यय	25
	11–लेखन सामाग्री	20		09–विद्युत देयक	05
	12–कार्यालय फर्नीचर	20		11–लेखन सामाग्री	12
	13–टेलीफोन पर व्यय	23		13–टेलीफोन पर व्यय	25
	15–मोटर गाड़ी अनुरक्षण	137		15–मोटर गाड़ी अनुरक्षण	50
	16–व्यवसायिक सेवा शुल्क	125		16–व्यवसायिक सेवा शुल्क	75
	17–किराया उपशुल्क कर	105		17–किराया उपशुल्क कर	30
	18–प्रकाशन	50		19–विज्ञापन	05
	19–विज्ञापन	75		26–मशीन साज सज्जा	12
	37–उचन्त	50		42–अन्य व्यय	12
	42–अन्य व्यय	50		47–कम्प्यूटर स्टेशनरी	05
	47–कम्प्यूटर स्टेशनरी	12			
योग– पशु कल्याण गौ सेवा		1086	योग–		427
महायोग– (1+2)					1513

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फॉट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31.03.2011 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(4) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–निदेशन तथा प्रशासन–04–पशु कल्याण एवं गौ सेवा (राज्य सैक्टर) एवं 2403–पशुपालन–00–आयोजनागत –104–भेड़ एवं ऊन विकास 03–उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड (रा०सै०) योजना के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या– 858 (1)/XV-1/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एंव आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. सचिव, पशु कल्याण एवं गौ सेवा आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य अधिशासी अधिकारी, भेड़ ऊन विकास बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव